समझौता ज्ञापन (MoU)

समझौता ज्ञापन का यह दस्तावेज (MoU) आज दिनांक 5.10.2022 को मारकण्डा नेशनल कॉलेज, लाडवा रोड़, शाहाबाद (मा.), जिला कुरूक्षेत्र–136135 (हरियाणा) के प्राचार्य डॉ. अशोक कुमार (प्रथम पक्ष) व धाकड़ हाईटेक नर्सरी के संस्थापक, श्री अरविन्द धाकड़, गॉव रियावन, तहसील पिपलौदा, जिला रतलाम, मध्यप्रदेश (द्वितीय पक्ष) के मध्य करार किया गया व निष्पादित किया गया।

दस्तावेज में अब के बाद मारकण्डा नेशनल कॉलेज व उनकी तरफ से किसी भी प्रतिनिधि को पक्षकार संख्या –1 व धाकड हाईटेक नर्सरी व उनके प्रतिनिधि को पक्षकार संख्या–2 के नाम द्वारा सम्बोधन किया जाएगा।

समझौता ज्ञापन (MoU) के उद्देश्य (विशेषताएं)

1. इस तकनीक के माध्यम से सब्जी, आयुर्वेदिक पौधे आदि को मिट्टी के अलावा पानी में उगाने के तरीकों पर काम किया जाना।

2. इस तकनीकी के माध्यम से सब्जी के भण्ड़ारण में होने वाली कमी को पूरा किया जाना।

3. तकनीक को सीखकर उसके प्रचार–प्रसार करने में सहायता मिलना।

4. इस तकनीक से सम्बधित शोध कार्य करने के प्रति विद्यार्थियों में जिज्ञासा पैदा करने में मदद मिलना।

5. इस आधुनिक तकनीक को सीखकर विद्यार्थियों को स्वंय अपना रोजगार स्थापित करने में मदद प्राप्त होना।

6. इस तकनीक के माध्यम से एक वैज्ञानिक पद्वति की ओर विद्यार्थी अग्रसर होना।

7. इस तकनीक के माध्यम से कृषि के सुधारों व परिणामों से लोगों में खासी रूचि उत्पन्न होना।

8. विद्यार्थियों में पानी की खेती संबधित जानकारियां प्रसारित करना।

9. विद्यार्थियों में पानी की खेती की विभिन्न तकनीकों को सुगमतापूर्वक व सावधानीपूर्वक महत्व व प्रयोग बताना।

10. विद्यार्थियों में नए एवं स्व–रोजगार के प्रति दृष्टिकोण उत्पन्न करना व अवसर सृजित करना।

11. विद्यार्थियों में कृषि से सम्बधित नई तकनीक का ज्ञान का आभास करवाना।

12. विद्यार्थियों को प्रयोगिक प्रशिक्षण के माध्यम से Hydroponics तकनीक में सक्षम बनाना।

13. विभिन्न कार्यशालाओं के माध्यम से उद्यमिता विकास पर जोर देना।

14. उद्यमशील मानसिकता के साथ व्यवहार विकसित और नेतृत्व क्षमता को बढ़ावा देना और व्यवहारिक प्रशिक्षण आयोजित करना।

15.विभिन्न स्टार्ट–अप स्थापित करने में विद्यार्थियों की सहायता करना।

अब दोनों पक्षों के आपसी वादे इस प्रकार से है:–

Clause 1. सहयोग

दोनों पक्ष सामान्य हितो, संचार और सहयोग के वस्तुनिष्ठ चैनलो से एकजुट हैं जो सम्बधित कार्यो को आगे बढायेगें। पार्टियां एक–दूसरे के अवसरों को बनाए रखेंगी और सभी सूचनाओं को सांझा करेगी जो एक–दूसरे के लिए अवसर हो सकती है।

Clause 2. विस्तार क्षेत्र (Scope)

2.1. दोनों पक्षों का मानना है कि छात्र वर्ग को उनके कौशल और ज्ञान को बढ़ाने के लिए दोनों पक्षों के मध्य निकट सहयोग होना।

2.2. दूसरा पक्ष प्रथम पक्ष पद्वति के लिए मूल्यवान इनपुट देगा ताकि छात्र औद्यौगिक व वैज्ञानिक, रसायनिक परिदृश्य में फिर हो सके।

2.3. Hydroponics (पानी की खेती) तकनीक के नवीनतम विकास, प्रयोग, आवश्यकताओं में उद्योग, खेती के प्रयोग और प्रशिक्षण के माध्यम में द्वितीय पक्ष प्रथम पक्ष के मध्य बातचीत, प्रथम पक्ष के फैकल्टी सदस्य और छात्र, प्रथम पक्ष के लिए वास्तविक प्रशिक्षण /इंटर्नशिप कार्यक्रमों का दौरा करने के लिए सदैव तैयार रहेगें। इस सहयोग के माध्यम से छात्रों को प्रदान किए गए प्रशिक्षण से छात्रों को मार्गदर्शन मिलेगा और प्रथम पक्ष के शिक्षार्थियों के लिए अपनी कार्यशाला / औद्योगिक जगह / उद्यान / प्रशिक्षण शिविर द्वितीय पक्ष द्वारा प्रदान करेगा।

2.4. दूसरा पक्ष पहले पक्ष के छात्रों को प्रशिक्षित करेगा। उन्हें कौशल और स्टार्ट–अप के लिए तैयार करेगा।

2.5. दूसरा पक्ष प्रथम पक्ष के अनुरोध पर प्रथम पक्ष के विद्यार्थियों के सहयोग और मार्गदर्शन में व्याख्यान प्रस्तुति देगा और अपनी कार्यशाला / प्रशिक्षण कैन्द्र पर प्रशिक्षण सत्र आयोजित करेगा।

2.6. द्वितीय पक्ष प्रथम पक्ष के विद्यार्थियों का प्रशिक्षण देने में सक्रिय रूप से संलग्न होगा।

2.7. वित्तिय व आर्थिक देयता संबधित व्यय (TA/DA, Remuneration, Contingency etc.) आपसी सहयोग से पूरी की जाएगी।

2.8. समझौता ज्ञापन (MoU) के दौरान, प्रत्येक पक्ष इस बात से सहमत है कि वे किसी भी समय, बिना आपसी सहमति परामर्श के किसी भी कार्यक्रम के संबध में किसी भी प्रकार की जानकारी का खुलासा नहीं करेंगे। गम्भीर विषय चर्चा को पूर्ण विश्वास में रखा जाएगा।.

Clause 3. वैधता

यह समझौता दिनांक 6 अक्तूबर 2022 से 6 अक्तूबर 2023 (1 वर्ष अवधि) तक के लिए प्रभावी रहेगा तथा इस अवधि में आपसी लिखित सहमति से एम.ओ.यू के उदे्श्यों में बदलाव भी किए जा सकते है, इसके साथ ही आपसी लिखित सहमति से एम.ओ.यू की समाप्ति की धोषणा भी की जा सकती है। दोनों पक्षो के मध्य किसी भी प्रकार का वित्तीय लेन–देन नहीं किया जाएगा।

Ashok Kumar

हस्ताक्षर प्रथम पक्षकार

Principal
Markanda National College
Shahabad Markanda (Haryana)

प्राचार्य
डॉ. अशोक कुमार
मारकण्डा नेशनल कॉलेज
शाहाबाद मारकण्डा, जिला कुरूक्षेत्र (हरियाणा)

DHAKAD HI-TECH NURSERY

हस्ताक्षर द्वितीय पक्षकार-

Proprietor

निर्देशक
श्री अरविन्द धाकड़
धाकड़ हाईटेक नर्सरी
गॉव रियावन, जिला रतलाम (मध्य प्रदेश)

साक्षी :

प्रो. सुरेश कुमार
विभागाध्यक्ष, रसायन विज्ञान
मारकण्डा नेशनल कॉलेज
शाहाबाद मारकण्डा, जिला कुरूक्षेत्र (हरियाणा)